

## अम्बेडकर जिला स्तरीय पुरस्कार योजना के दिशा निर्देश

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.18( )अम्बे/ सान्याअवि/ 207/ 6269 दिनांक 7.2.2008 के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, अम्बेडकर महिला पुरस्कार, अम्बेडकर न्याय अम्बेडकर तथा अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है।

इसी परिधेय में विभाग द्वारा जिला स्तर पर उक्त चारों पुरस्कार अम्बेडकर सामाजिक पुरस्कार, अम्बेडकर महिला पुरस्कार, अम्बेडकर न्याय पुरस्कार तथा अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार का निर्णय किया है। इस पुरस्कार में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के द्वारा योग्य संस्था को 14 अप्रैल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा। इसमें कोई नकद देय नहीं है। पुरस्कार के चयन के लिये जिला स्तर पर चयन के लिये जिला कलेक्टर द्वारा द्वारा द्वारा निमानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

### जिला कलेक्टर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

अध्यक्ष

जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)

सदस्य

महिला एवं बाल विकास विभाग का जिलाधिकारी

सदस्य

उप/सहायक निदेशक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के द्वारा निमानुसार पुरस्कार हेतु पात्रता रखने वाले व्यक्ति अथवा जिला चयन किया जायेगा:-

पुरस्कार का नाम	योग्यता
अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> <li>व्यक्ति जिले का मूल निवासी हो/ संस्थान जिले में पंजीकृत हो।</li> <li>उप जिला कलेक्टर द्वारा उच्च चरित्र प्रमाण पत्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र।</li> <li>संस्था/व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो।</li> <li>सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हो।</li> <li>संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोंतो से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।</li> </ol>

अम्बेडकर महिला  
पुरस्कार

1. महिला जिले की मूल निवासी हो / संस्था जिले में पंजीकृत हो।
2. उप जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र प्रमाण पत्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र।
3. संस्था / महिला कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों / जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो।
4. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका / योगदान रहा हो।
5. संस्था / महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रीों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।

अम्बेडकर न्याय  
पुरस्कार

1. जिले का मूल निवासी हो।
2. जिला कलक्टर एवं जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा उच्च चरित्र प्रमाण पत्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र।
3. अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत हो तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क / न्यून शुल्क पर पैरवी की हो ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुये प्रभाव।
4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों / नियमों में कोई संशोधन करवाया हो / नये अधिनियम / नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।

अम्बेडकर शिक्षा  
पुरस्कार

1. जिले का मूल निवासी हो।
2. राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की कक्षा 10 एवं 12वीं की परीक्षा में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्गों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 1-1 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष में कक्षा 10 के 2 तथा कक्षा 12वीं के 6 कुल 8 विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिया जायेगा।

उक्त पुरस्कार में केवल जिला स्तर पर प्रशस्ति पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयन्ती के दिन दिया जायेगा। कोई नकद राशि नहीं दी

**पुरस्कार सीमा :-** एक व्यक्ति / संस्था को अपने जीवन काल में जिला स्तर पर केवल एक ही बार अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा परन्तु यह शर्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जो कक्षा 12वीं में भी सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति या संस्था को 15 अगस्त / 26 जनवरी पर जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है उसे अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जायेगा।

पुरस्कार दिये जाने की तिथि व स्थान :— ये पुरस्कार प्रतिवर्ष अम्बेडकर जयन्ती पर  
दिये जायेंगे तथा स्थान का निर्धारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा

२१

जिला कलेक्टर से चर्चा कर जयन्ती मनाये जाने से पूर्व किया जाकर समाचार पत्रों के

माध्यम से सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं एवं आमजन को सूचित किया जायेगा।

इन पुरस्कारों में यदि किसी प्रतिष्ठित संस्था/व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के कल्याण में संलग्न हो और आवेदन नहीं किया हो तो जिला स्तरीय समिति स्वयं के स्तर से भी उन्हे अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने की पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए पुरुषकृत करने का निर्णय ले सकेगी।

इन पुरस्कारों के दिये जाने की प्रारम्भ से अन्त तक की प्रक्रिया में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।



(अखिल अरोड़ा)  
प्रमुख शासन सचिव

मान्ड़:-एफ.18( )अम्बे.पुर./सामान्य/सान्याअवि/2019/ ४३६२३-७२५ जयपुर, दिनांक २५/०३/२०१९

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।

विशेष सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

विशेष सहायक, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, सचिवालय, जयपुर।

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

संभागीय आयुक्त,.....

समस्त जिला कलेक्टर,

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।

निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।

निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, मानसरोवर, जयपुर।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।

निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....

समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास।

संयुक्त निदेशक(आई.टी), मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आदेश पत्रावली।

२५/०३/२०१९  
(सांवरमलं क्रमी)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

## जिला स्तरीय अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

(दिनांक 01.01.20... तक पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हो आवेदन करें)

1. स्वयंसेवी संस्था / व्यक्ति का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्मतिथि.....
4. स्वयंसेवी संस्था / व्यक्ति का पता  
स्थायी पता.....
- पत्र व्यवहार का पता.....
- फोन नं.....
5. यदि संस्था है तो पंजीकरण संख्या..... दिनांक..... (पुष्टि  
हेत सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. अनुसूचित जाति / जनजाति के उत्थान के लिए संस्था / व्यक्ति द्वारा पिछले 5 वर्षों किये गये  
कार्यों का विवरण मय दस्तावेज.....  
.....  
.....
7. उपखण्ड अधिकारी द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रमाण पत्र.....
8. भारत सरकार / राज्य सरकार / जिला कलक्टर द्वारा दिए गए सम्मान का विवरण (यदि कोई  
हो).....
9. संस्था द्वारा विदेशी / स्वदेशी अनुदान प्राप्त किये जाने का पिछले 5 वर्षों का वर्षावार विवरण..  
.....
10. संस्था के स्वयं के भवन का विवरण.....
11. संस्था / व्यक्ति के बैंक खातों का विवरण.....  
.....

आवेदक / संस्था के मुखिया  
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी.....

उपरोक्त..... संस्था / व्यक्ति द्वारा दिये गये विवरण का  
सत्यापन करवा लिया गया है। संस्था / व्यक्ति को अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार वर्ष.....  
दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील  
उपखण्ड अधिकारी

(नोट:- आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

## जिला स्तरीय अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

(दिनांक 01.01.20... तक पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हो आवेदन करें)

1. स्वयंसेवी संस्था/महिला का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्मतिथि.....
4. पता :—  
स्थायी पता.....  
पत्र व्यवहार का पता.....  
फोन नं.....
5. यदि संस्था है तो पंजीकरण संख्या..... दिनांक..... (पुष्टि हेतु सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. महिला/संस्था द्वारा पिछले 4 वर्षों में बाबा साहेक के सिद्धान्तों के अनुसार किये गये उल्लेखनीय कार्यों का दस्तावेज सहित विवरण.....
  
7. जिला कलक्टर द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रमाण पत्र.....
8. भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा दिए गए सम्मान का विवरण (यदि कोई हो).....
9. संस्था द्वारा विदेशी/स्वदेशी अनुदान प्राप्त किये जाने का पिछले 5 वर्षों का वर्षवार विवरण.....
10. संस्था के स्वयं के भवन का विवरण.....
11. संस्था/व्यक्ति के बैंक खातों का विवरण.....

आवेदक/संस्था के मुखिया  
नाम एवं हस्ताक्षर

### कार्यालय उपखण्ड अधिकारी.....

उपरोक्त..... संस्था/व्यक्ति द्वारा दिये गये विवरण का सत्यापन करवा लिया गया है। संस्था/व्यक्ति को अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार वर्ष..... दिये जाने की अभिशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील  
उपखण्ड अधिकारी

(नोट:— आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)



## जिला स्तरीय अम्बेडकर न्याय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

1. अधिवक्ता का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. आवेदक का पता.....
- पत्र व्यवहार का पता.....
- स्थायी पता.....
- फोन नं.....
4. जन्मतिथि.....
5. शैक्षणिक योग्यता.....
6. बार काउंसिल का पंजीयन क्रमांक.....दिनांक.....
7. दिनांक.....से पिछले 10 वर्षों के वकालत के दौरान निर्णित मुकदमों विवरण

न्यायालय का नाम	पैरवी किये गये प्रकरणों की संख्या		लाभान्वितों की संख्या	
	एस.सी.	एस.टी.	एस.सी.	एस.टी.
अधीनस्थ न्यायालय				

नोट:- उक्त तालिका में अंकित निर्णीत प्रकरणों की पठनीय छाया प्रतियाँ

8. जिला कलक्टर तथा जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा जारी चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र। (प्रत्येक का पृथक्-पृथक प्रमाण पत्र)

9. अधिवक्ता द्वारा समाज सेवा हेतु किये अन्य कार्यों का विवरण मय दस्तावेज

10. आरक्षित वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए किसी कानून विशेष में संशोधन करने अथवा नया कानून बनवाने में कोई योगदान दिया हो तो उसका विवरण

11. अन्य कोई विवरण.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

जिला कलक्टर / जिला सेशन न्यायाधीश कार्यालय ..... की टिप्पणी—  
श्री/ श्रीमती/ सुश्री..... को अम्बेडकर न्याय पुरस्कार वर्ष.....  
के लिए अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील  
जिला कलक्टर/जिला सेशन न्यायाधीश

(नोट:- आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)